



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०ब०-५६ / २०१८-२७० दिनांक : २९-०३-१९

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में:

वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग / कोडरमा / गढ़वा

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित योजना "सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (60:40) के तहत स्थापित आधुनिक पौधशाला के रख-रखाव कार्य हेतु रु० 35.103 (पैंतीस लाख दस हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-५४ / २०१८-६० / स्वी० व०प० दिनांक 06.03.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४ / यो०बजट-५४ / २०१८-११८ / आ० व०प० दिनांक 28.03.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय, उप शीर्ष-39 स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक आगणन के पश्चात निर्धारित बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 35.103 (पैंतीस लाख दस हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601800390103	16.611
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601800390323	18.492
कुल :-		35.103

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार / उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिघेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601800390103 एवं 19S240601800390323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित ज़िलों में अवस्थित कोषागार / उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
8. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते / डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-56 / 2018- 270 दिनांक- 29-03-19

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर/ इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / योबो-56 / 2018- 270 दिनांक- 29-03-19

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग / कोडरमा /  
गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड़ आर्चड योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित योजना “सब मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (60:40)” के तहत स्थापित आधुनिक पौधशाला के रख-रखाव कार्य हेतु उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

			(राशि लाख में)		
क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेठों में)	वित्तीय वर्ष 2018-19		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	2	5.537	6.164	11.701
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	2	5.537	6.164	11.701
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	2	5.537	6.164	11.701
कुल योग :-		6	16.611	18.492	35.103



प्रधान मुख्य वन संस्करण विकास,  
झारखण्ड, राँची।

## आधुनिक स्थायी पौधशाला में एक लाख उन्नत पौधों को तैयार करने हेतु कार्य दर ।

योजना का नाम— सबमिशन आन एग्रो फॉरेस्ट्री योजना 60:40 के तहत स्थापित आधुनिक  
पौधशाला / हाई टेक पौधशाला

पौधशाला का क्षेत्रफल —

रुट ट्रेनर हाइकोपोट को स्टैड सहित  
रखने हेतु बेड का साइज —

प्रत्येक बेड में पौधों की संख्या —

कुल बेडों की संख्या —

प्रति स्टैड रुट ट्रेनर हाइकोपोट की संख्या —

कुल रुट ट्रेनर हाइकोपोट स्टैड की संख्या —

तैयार होने वाले पौधों की संख्या :

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु०) :-

हाइग्रोपिट अंकुरण बेडों की संख्या —

प्रजातियाँ —

2 हेक्टेयर ।

5.5 फीट × 40 फीट ।

1 रुट ट्रेनर का आयतन — 300  
सी.सी.

2800	1 Root Trainer (c.c.)	2000 Root Trainers (m3)	100000 Root Trainers (m3)
40			
100			
1000	300	0.6	30

100000

Rs. 237.38

2

शीशम, गम्हार, सागवान, आम, औंवला, जामुन, कदम, कटहल,  
साल, सिधा, करंज, नीम, बांस,

बढ़ेड़ा, हरा, खेर, बेल, सिरीस, छतवन, बीजासाल, अशोक,  
रक्तचंदन, करम, कुसुम, बेर, अर्जुन, कदम,

महुआ, चिरौंजी, काला शीशम, इमली, आदि ।

क्र. सं.	कार्य का विवरण एवं Specifications	2 हेक्टेयर (1.0 लाख पौधों) के लिये			
		मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
A	अनावर्ती व्यय (2018-19)				
1	बीज अंकुरण हेतु हाइग्रोपिट बेड (2 सं.) तैयार करना, प्रत्येक— साइज—0 फीट × 5 फीट × 1.5 फीट, किनारों में ईंट बोर्डर—सामग्री सहित। गड्ढे के तल में प्लास्टिक शीट लगाना, गड्ढे को 0.5 फीट गिट्टी, 1 फीट चाला हुआ बालू (साइज— 0.2 मि.मी. से 2 मि.मी.) से भरना, तथा बेड के किनारों में ईंट का बार्डर लगाना ।	10.00	18170.00	2373.80	20543.80
2	रुट ट्रेनर हाइकोपोट स्टैण्ड रखने हेतु बेड का निर्माण— एक बेड का साइज— 5.5 फीट × 40 फीट, भूमि समतलीकरण तथा बेड पर रुट-ट्रेनर स्टैड हेतु ईंट रखकर उसपर स्टैड रखना, कुल रुट ट्रेनर स्टैण्ड—1000 । प्रति बेड रुट-ट्रेनर स्टैड की संख्या— 28, प्रति बेड पौधों की संख्या — 2800, बेडों की संख्या—36, 3300 ईंट ।	36.00	21450.00	8545.68	29995.68
3	ग्रीन शेड नेट में रुट टेनर स्टैण्ड रखने हेतु ईंट 1700 ईंट, 20 बेड	0.00	11050.00		11050.00
4	निरीक्षण पथ का निर्माण	80.00	5400.00	18990.40	24390.40
5	रुट ट्रेनर हाइकोपोट— 300 सी.सी., 20000 अद्द, 6/- प्रति पीस	0.00	120000.00	0.00	120000.00

क्र. सं.	कार्य का विवरण एवं Specifications	2 हेक्टेयर (1.0 लाख पौधों) के लिये			
		मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
6	लोहे का 250 रुट ट्रेनर स्टैप्ड, 300 सी.सी., 20000 रुट ट्रेनर हेतु । 33"× 33"×2 फीट, frame- 1"× 0.25", patti- 0.5"× 0.25", middle support- 0.5"× 0.25", stand- 1"×0.25", support angle-3"×0.5", weight-15kg- 17 kg @ Rs. 1275 per pc.	0.00	255000.00	0.00	255000.00
	योग :-	126.00	431070.00	29909.88	460979.88
B	आवर्ती व्यय -				
1	उन्नत वृक्षों से बीज संग्रहण / कय	9.50	10000.00	2255.11	12255.11
2	बीज उपचार एवं रोपण, ढकना, कीटनाशक छिड़काव सहित	75.00	3957.15	17803.50	21760.65
3	रुट ट्रेनर में भरने हेतु सामग्री – कम्पोस्ट/ गोबर खाद एवं मोटा बालू 1:1 के अनुपात में । लगभग 33 घनमीटर । बालू का साईज- 0.2 मि.मी से 2 मि.मी.,	0.00	30000.00	0.00	30000.00
4	1 लाख हाइकोट्यूब में भराई हेतु मिश्रण (छाने हुये बालू (0.2 से 2 मि.मी.), कम्पोस्ट ) तैयार करना (बालू चालना एवं कम्पोस्ट / खाद को पीट कर चूरा बनाना तथा चालना एवं बालू तथा कम्पोस्ट (1:1 का अनुपात) को अच्छी तरह मिलाना एवं तैयार मिश्रण को 1 लाख रुट ट्रेनर में भरना । बालू का साईज- 0.2 मि.मी. से 2 मि.मी. (20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	500.00	0.00	118690.00	118690.00
5	प्रिक आउट एवं ट्रांसप्लान्टिंग, औसतन प्रति 500 पौधों की बुनाई पर एक मानव दिवस	200.00	0.00	47476.00	47476.00
6	कोड़नी-निकौनी एवं पटवन, धास की सफाई इत्यादि सभी कार्य अक्टूबर से मार्च तक तीन व्यक्ति प्रतिदिन।	540.00	0.00	128185.20	128185.20
7	रासायनिक खाद, हारमोन, कीटनाशक, उपकरण, आदि।	0.00	20534.00	0.00	20534.00
8	डीजल, मोबिल, पम्प की मरम्मति एवं संचालन पर व्यय	0.00	100000.00	0.00	100000.00
9	सुरक्षा पर व्यय	730.00	0.00	173287.40	173287.40
10	पुआल, वानस्पतिक अवशेष, गोबर, सॉ डस्ट, राईस हस्क, आदि सामग्रियों को कम्पोस्ट पिट में डालना एवं थोड़े-थेड़े अंतराल में 6 बार मिलाना, पानी डालना, पुनः पिट में डालना, वर्ष में 6 बार।	122.00	10830.00	28960.36	39790.36
11	विविध व्यय, सूचना पट्ट, स्लोगन बोर्ड, सिंचाई व्यवस्था, (जल संग्रहण टैक्स, नाली, पाईप, आदि) तथा निरीक्षण पथ का संधारण, कच्चा नाली, आदि एवं जेनरेटर रुम – भंडार-टूल रुम का रख-रखाव कार्य	30.00	10000.00	7121.40	17121.40
	योग :-	2206.50	185321.15	523778.97	709100.12
	कुल A+B:-	2332.50	616391.15	553688.85	1170080.00

क्र. सं.	कार्य का विवरण एवं Specifications	2 हेक्टेयर (1.0 लाख पौधों) के लिये			
		मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
<b>वित्तीय वर्ष 2019–20 में मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 273.00 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2018–19 को आधार मानते हुए</b>					
C	आवर्ती व्यय 2019–20 (अग्रिम एवं समापन)		अगले वर्ष 2019–20 में वर्ष 2018–19 के अग्रिम कार्य का सम्पोषण कार्य एवं वर्ष 2019–20 का अग्रिम कार्य तथा समापन कार्य ।		
1	रुट ट्रेनर हाइकोपोट— 300 सी.सी., 1000 अद्द, 6/- प्रति पीस	0.00	6000.00	0.00	6000.00
2	उन्नत वृक्षों से बीज संग्रहण / क्रय	9.50	30000.00	2593.50	32593.50
3	बीज उपचार एवं रोपण, ढकना, कीटनाशक छिड़काव सहित	75.00	3957.15	20475.00	24432.15
4	रुट ट्रेनर में भरने हेतु सामग्री – कम्पोस्ट/गोबर खाद एवं मोटा बालू 1:1 के अनुपात में । लगभग 33 घनमीटर ।	0.00	30000.00	0.00	30000.00
5	1 लाख हाइकोट्यूब में भराई हेतु मिश्रण (छाने हुये बालू, कम्पोस्ट ) तैयार करना (बालू चालना एवं कम्पोस्ट/खाद को पीट कर चूरा बनाना तथा चालना एवं बालू तथा कम्पोस्ट (1:1 का अनुपात) को अच्छी तरह मिलाना एवं तैया मिश्रण को 1 लाख रुट ट्रेनर में भरना (20 प्रतिशत अतिरिक्त सहित)	500.00	0.00	136500.00	136500.00
6	प्रिक आउट एवं ट्रांसप्लान्टिंग, औसतन प्रति 500 पौधों की बुनाई पर एक मानव दिवस	200.00	0.00	54600.00	54600.00
7	कोड़नी–निकौनी एवं पटवन, जड़ों को उखाड़ना, धास की सफाई इत्यादि सभी कार्य अप्रैल से जून तक 3 मजदूर प्रति दिन, जुलाई से सितम्बर तक 2 व्यक्ति प्रति दिन एवं अक्टूबर से मार्च तक तीन व्यक्ति प्रतिदिन ।	1000.00	0.00	273000.00	273000.00
8	रासायनिक खाद, हारमोन, कीटनाशक, उपकरण, आदि ।	0.00	20534.00	0.00	20534.00
9	पुनः उपयोग हेतु 1 लाख रुट ट्रेनर को पानी से धोना, संक्रमणरहित करना एवं सुखाना ।	10.00	0.00	2730.00	2730.00
10	रुट ट्रेनर स्टेण्ड एवं हाइग्रोपिट (संख्या में 2) की प्राइमर एवं दो कोट पेंट से रंगाई ।	85.00	30352.66	23205.00	53557.66
11	डीजल, मोबिल, पम्प की मरम्मति एवं संचालन पर व्यय	0.00	100000.00	0.00	100000.00
12	सुरक्षा पर व्यय – 2 मजदूर पुरे वर्ष के लिए	730.00	0.00	199290.00	199290.00

इं सं.	कार्य का विवरण एवं Specifications	2 हेक्टेयर (1.0 लाख पौधों) के लिये			
		मानव दिवस	सामग्री (रु० में)	मजदूरी (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi
13	पुआल, वानस्पतिक अवशेष, गोबर, सॉ डर्स्ट, राईस हर्स्क, आदि सामग्रियों को कम्पोर्ट पिट में डालना एवं थोड़े-थोड़े अंतराल में 6 बार मिलाना, पानी डालना, पुनः पिट में डालना, वर्ष में 6 बार।	122.00	10830.00	33306.00	44136.00
14	विविध व्यय, सूचना पट्टा, स्लोगन बोर्ड, सिंचाई व्यवस्था, (जल संग्रहण टैक्स, नाली, पाईप, आदि) तथा निरीक्षण पथ का संधारण, कच्चा नाली, आदि एवं जेनरेटर रुम - भंडार-टूल रुम का रख-रखाव कार्य	30.00	10000.00	8190.00	18190.00
योग :-		2761.50	241673.81	753889.50	995563.31
सकल योग :-		5094.00	858064.96	1307578.35	2165643.31

प्रधान मुख्य उन संस्करण, विकास  
झारखण्ड, रांची।



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-56/2018/270

दिनांक -

29-Mar-2

क्रमांक	विपरीत कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601800390103	107409	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	553,700.00 रुपये पाँच लाख तीरपन हजार सात सौ
2	S 19 240601800390103	107411	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	553,700.00 रुपये पाँच लाख तीरपन हजार सात सौ
3	S 19 240601800390103	107412	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	553,700.00 रुपये पाँच लाख तीरपन हजार सात सौ
योग:				1,661,100.00
क्रमिक योग:				रुपये सोलह लाख इक्सठ हजार एक सौ
				 (SRI VIKRAM SINGH GAUF IFS) PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आर्बटित राशि
4	S 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	107415	HZBFWL007 NAGENDRA BAITHA, I F S D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	616,400.00
5	S 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	107416	KDMFORA02 KANAK KISHORE D.F.O (S.F.) KODERMA	616,400.00
6	S 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Central Scheme : NA	107417	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	616,400.00
योग:				1,849,200.00
क्रमिक योग:		रुपये	पैतीस लाख दस हजार तीन सौ	3,510,300.00
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR (IFS)) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCH				